अध्याय–I

प्रस्तावना

अध्याय–I
प्रस्तावना

1.1 दिव्यांगजनों से संबंधित प्रावधानों को सक्षम करना

भारत का संविधान सभी व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) सहित सभी के लिए एक समावेशी समाज को अनिवार्य करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिये बाध्य करता है। इसके अनुरूप, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1995, भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (दिअअधि), 2016 जो अप्रैल 2017 से लागू हुआ, ने मौजूदा पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित किया और दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन[1] 2006 द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- अधिनियम 21 प्रकार[2] की दिव्यांगता को निर्धारित करता है जबकि 1995 के मौजूदा अधिनियम के अन्तर्गत केवल 7 श्रेणियां थी।
- यह अधिनियम दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न अधिकारों और हक़दारियों यथा समानता और गैर-भेदभाव, सामुदायिक जीवन, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा, न्याय तक पहुंच, कानूनी क्षमता आदि का प्रावधान करता है।
- सरकारों को मौजूदा सार्वजनिक भवनों और बुनियादी ढांचे को पांच साल के भीतर सुलभ बनाने और दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है।
- भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के लाभ 'संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों' अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता नहीं से संबंधित हैं। जैसा कि एक प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हैं।

---

1 भारत ने अक्टूबर 2007 में सम्मेलन की पुष्टि की।

2 (i) अंधता (ii) निम्न दृष्टि (iii) कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति (iv) श्रवण शक्ति का ह्रास (बधिर और कम सुनने वाला व्यक्ति) (v) गतिविषयक दिव्यांगता (vi) बौनापन (vii) बौद्धिक दिव्यांगता (viii) मानसिक रुग्णता (ix) स्वालीनता स्पेक्ट्रम विकार (x) प्रमस्तिष्क घात (xi) बहुदुष्पोषण दिव्यांगता (xii) चिरकारी तंत्रिका दशाएं (xiii) विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता (xiv) बहु स्क्लेरोसिस (xv) वाक एवं भाषा दिव्यांगता (xvi) थैलेसीमिया (xvii) हैमोफिलिया (xviii) सिक्कल कोशिका रोग (xix) बधिर अंधता सहित अनेक दिव्यांगतायें (xx) तेजाब आक्रमण पीड़ित और (xxi) पार्किंसंस रोग।

2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान में 15.64 लाख दिव्यांग व्यक्ति थे, जो राज्य की कुल जनसंख्या (6.85 करोड़) का 2.28 प्रतिशत था । राजस्थान में दिव्यांगजनों की छठी सबसे बड़ी आबादी थी, जो देश में कुल दिव्यांगजनों का 5.83 प्रतिशत थी । दिव्यांगजनों का श्रेणी वार अनुपात **चार्ट 1** में दर्शाया गया है:

चार्ट 1: 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में दिव्यांगजनों का श्रेणी-वार प्रतिशत

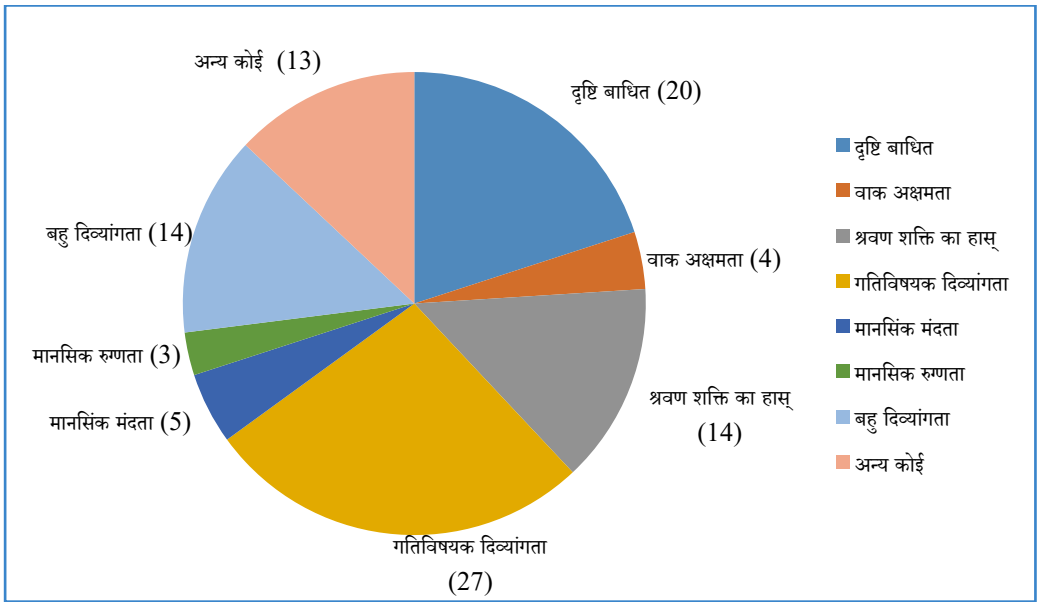

स्रोतः "पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन) इन इंडिया- ए स्टैटिकल प्रोफाइल 2021" सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं, प्रावधानों, अधिनियम एवं नियमों का लाभ समर्पित तरीके से देने के उद्देश्य से राज्य में एक पृथक निःशक्तजन निदेशालय की स्थापना (अक्टूबर 2011) में की गई । इसके बाद, मार्च 2012 से निदेशालय का नाम बदलकर निदेशालय विशेष योग्यजन कर दिया गया और दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य में "विशेष योग्यजन" कहा गया ।

प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार, विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं और निदेशक-सह-विशिष्ट शासन सचिव, विशेष योग्यजन द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो निदेशालय, विशेष योग्यजन के प्रमुख हैं और विशेष योग्यजनों के लाभ के लिए कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के लिए भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा वितरित

धन के उपयोग की समग्र योजना, विभिन्न योजनाओं[3] के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है । उप/सहायक निदेशक अर्थात जिला स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला स्तर के अधिकारी और खंड स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी योजनाओं के प्रशासन और कार्यान्वयन में सहायता करते हैं । मार्च 2021 को, राजस्थान में विशेष योग्यजनों के लिए 35 मानसिक विमंदित गृह और 101 आवासीय और गैर आवासीय विद्यालय गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे थे, जो निदेशालय, विशेष योग्यजन से अनुदान प्राप्त कर रहे थे । इसके अतिरिक्त, एक राजकीय मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली (जयपुर) निदेशालय, विशेष योग्यजन के नियंत्रण में कार्य कर रहा है ।

इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 79 के तहत राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजन का एक स्वतंत्र कार्यालय स्थापित किया गया था । राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजनों के अधिकारों से वंचित किये जाने से संबंधित शिकायतों की जांच के अलावा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है ।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह जांचने के लिए की गई थी कि क्या:

(i) *सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के अधिकारों और हक़दारी को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के साथ ही गरिमा, समानता, गैर-भेदभाव, व्यक्तिगत स्वायत्तता, स्वतंत्रता और पहुंच के लिए पर्याप्त उपाय किए गये थे;*

(ii) *पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा एवं प्रभावी पुनर्वास और मनोरंजक उपायों के माध्यम से सामाजिक भागीदारी, समावेश और स्वीकृति सुनिश्चित की गई थी;*

(iii) *अवसर की समानता सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त और प्रभावी रूप से स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से प्रदान किए गए थे; तथा*

(iv) *प्रभावी वित्तीय प्रबंधन, निगरानी और आंतरिक नियंत्रण सहित शासन की प्रभावी प्रणाली मौजूद थी ।*

3 उदाहरणों में शामिल हैं (i) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना; (ii) विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना; (iii) संयुक्त सहायता अनुदान योजना; (iv) विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना; (v) विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना; (vi) विशेष योग्यजन चिन्हीकरण योजना; (vii) आस्था योजना; (viii) विशेष योग्यजन खेलकूद योजना; (ix) विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना; (x) पोलियो सुधार शिविर; (xi) पेंशन धारक विशेष योग्यजन को स्व-व्यवसाय योजना के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता; और (xii) विशेष योग्यजन स्वरोजगार और प्रशिक्षण योजना ।

1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा को निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त मानदंडों के प्रति मानक किया गया :

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (दिअअधि), 2016;
- राजस्थान विशेष योग्यजन नीति, 2012;
- राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन का वार्षिक प्रतिवेदन;
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम (राजदिअनि), 2018; तथा
- भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा संबंधित योजनाओं के दिशा-निर्देश, सरकारी आदेश और जारी परिपत्र ।

1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2016-21 की अवधि को शामिल किया गया जो जुलाई 2021 में शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ एक परिचयात्मक बैठक (जुलाई 2021) के साथ शुरू हुई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंड, इकाइयों का चयन, लेखापरीक्षा पद्धति और निष्पादन लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गई । निदेशक-सह-विशिष्ट शासन सचिव, विशेष योग्यजन के कार्यालय के साथ-साथ राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजन के कार्यालय के अभिलेखों की जांच की गई ।

लेखापरीक्षा ने जिला स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आठ उप निदेशक/सहायक निदेशक कार्यालयों और खण्ड स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 16 ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालयों का चयन किया था । राजकीय मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली (जयपुर) के अलावा आठ चयनित जिलों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित 13 मानसिक विमंदित गृहों में से आठ मानसिक विमंदित गृहों का चयन किया गया । इसके आगे, नमूना जांच किए गए आठ जिलों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित 33 आवासीय/गैर आवासीय विद्यालयों में से 11 का चयन किया गया था । ये सभी चयन आईडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सरल यादृच्छिक नमूनाकरण के माध्यम से किए गए थे । इसके अलावा, चयनित आठ जिलों में, लेखापरीक्षा के लिए दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत पांच विशेष स्कूल, एक जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) और तीन केंद्र जो कि दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता/उपकरणों की खरीद/फिटिंग (एडीआईपी) को भी चयनित किया गया था जो कि केंद्रीय अनुदान के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे थे । चयनित इकाइयों का विवरण ***परिशिष्ट-I*** में दिया गया है ।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ 11 अप्रैल 2022 को आयोजित समापन परिचर्चा

में विचार-विमर्श किया गया । समापन परिचर्चा में व्यक्त किए गए राजस्थान सरकार के विचारों और राजस्थान सरकार के उत्तरों को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है ।

1.6 आभार

लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान राजस्थान सरकार सहित शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजन के सहयोग को स्वीकार करती है । लेखापरीक्षा के सुचारू संचालन के लिए संबंधित विभागों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सहायता की भी लेखापरीक्षा सराहना करता है । हालांकि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी[4] प्रदान नहीं की गई जिसके कारण लेखापरीक्षा द्वारा अधिनियम के सफल कार्यान्वयन के लिए विभाग द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का अधिक व्यापक और गहन विश्लेषण नहीं किया जा सका ।

4 जैसे सभी योजनाओं का राज्य स्तरीय समेकित डेटा, गैर सरकारी संगठनों की राज्य स्तरीय जानकारी (पंजीकृत/नवीनीकृत/रद्द/बंद/आयोजित निरीक्षण आदि); विशेष योग्यजनों के बारे में राज्य/जिला स्तर की जानकारी (श्रेणी वार); आस्था कार्डों के वितरण के राज्य स्तरीय आंकड़े; पालनहार योजना के बारे में राज्य स्तरीय जानकारी; राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत दी गई कानूनी संरक्षकता के बारे में राज्य स्तरीय जानकारी; डीडीआरसी, डीडीआरएस और एडीआईपी केंद्रों के बारे में वित्तीय जानकारी; शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी (प्राप्त शिकायतें/समाधान आदि) ।